

R1296-I/13

30

श्रीमती अंजु पति नितिन अटल
4/4/13

कट
श्रीमती अंजु पति नितिन अटल
4/4/13

श्रीमती अंजु पति नितिन अटल
4/4/13

1. पंकज कुमार पिता घनश्यामदास अटल
जाति माहेश्वरी उम्र 35 वर्ष
निवासी आगर मालवा जिला शाजापुर
2. अनारीबाई विधवा अनारसिंह खेलवाल
उम्र 65 वर्ष निवासी छावनी आगर
3. घनश्यामदास पिता पुरुषोत्तमदास अटल
उम्र 65 वर्ष निवासी आगर मालवा
4. शिवप्रसाद पिता गणपतलाल धूत
उम्र 55 वर्ष निवासी आगर मालवा जिला शाजापुर
5. श्रीमती अंजु पति नितिन अटल उम्र 35 वर्ष
निवासी आगर मालवा जिला शाजापुर
6. श्रीमती पुष्पादेवी पति घनश्यामदास अटल
उम्र 60 वर्ष निवासी आगर मालवा जिला शाजापुर
7. श्रीमती ऐनी पति असीमसिंह डण्डेल उम्र 35 वर्ष
निवासी छावनी आगर जिला शाजापुर
8. असीमसिंह पिता अजितसिंह डण्डेल
उम्र 37 वर्ष निवासी छावनी आगर जिला शाजापुर
9. श्रीमती रोजमेरी पति अजितसिंह डण्डेल
निवासी छावनी आगर जिला शाजापुर
10. अजितसिंह पिता रतनलाल डण्डेल
निवासी छावनी आगर जिला शाजापुर

.....निगरानीकर्तागण
विरुद्ध

1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगर मालवा जिला शाजापुर म.प्र.
2. श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय शाजापुर म.प्र.
3. श्रीमान कलेक्टर महोदय शाजापुर
4. श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन


.....प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 50 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी आगर के प्रकरण क्रमांक 13/जांच/2012-13 में पारित प्रोसिटिंग आदेश दिनांक 23.03.2013 तथा इसी प्रकरण में अपर कलेक्टर शाजापुर द्वारा पारित प्रोसिटिंग आदेश दिनांक 23.03.2013 तथा अनुविभागीय अधिकारी आगर द्वारा पारित प्रोसिटिंग आदेश 25.03.2013 तथा पत्र क्रमांक/आयुक्त 05-13/2013/104/दिनांक 04.02.13 व इसके साथ संलग्न अपर आयुक्त उज्जैन के जांच प्रतिवेदन से दुखी होकर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1296-एक/2013

जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-6-2015	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं। पूर्व पेशी दिनांक 28-4-15 को आवेदक अभिभाषक उपस्थित थे। आवेदक अभिभाषक ने आगामी पेशी दिनांक 26-5-15 नोट की थी, परन्तु वे उक्त पेशी पर उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 26-5-15 को पेशी प्रवाचक द्वारा बढाई गई। आवेदक एवं उनके अभिभाषक की तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	